फा.सं. 19/2/2019-पीआर
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में पूर्णकालिक सदस्य (विधि) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना।

भारत सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली में दिनांक 31.5.2022 को रिक्त हो रहे पूर्णकालिक सदस्य (विधि) के पद को भरने का प्रस्ताव करती है। पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य बिना आवास और कार की सुविधा के 4.00 लाख रुपए प्रतिमाह के समेकित वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2. पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अनुसार पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि का होगा और वे पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे, परंतु यह कि कोई भी पूर्णकालिक सदस्य 62 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। रिक्ति की तारीख को आवेदक की कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।

3. आवेदक में निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:

(1) वह योग्य, निष्ठावान और विधि का ज्ञान तथा अनुभव रखने वाला हो,

(2) संबंधित संगठन में वरिष्ठ पद पर विधि संबंधी कार्य में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो और वह ऐसा व्यक्ति हो जो:

(क) सरकारी सेवक रहा हो और भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य किया हो या राज्य सरकार में कम से कम 3 वर्ष के लिए अपर/विशेष सचिव के रूप में कार्य किया हो;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकारी हो और कम से कम 3 वर्ष के लिए बोर्ड से एक स्तर नीचे काम किया हो;

(ग) विनियामकीय निकाय में अधिकारी हो और कम से कम 3 वर्ष के लिए कार्यपालक निदेशक या सदृश्य पद पर कार्य किया हो;

(घ) निजी क्षेत्र का कर्मचारी हो और 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की वार्षिक टर्नओवर वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी में कम से कम 5 वर्ष के लिए कार्यकारी प्रमुख के स्तर पर कार्य किया हो; और

(ड.) शिक्षा के क्षेत्र से हो और विश्वविद्यालय के विभाग या संकाय में प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष कार्य किया हो।

4. यह नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) की सिफारिश पर की जाएगी। तथापि, यह नोट किया जाए कि एफएसआरएएससी गुण-दोष के आधार पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को अभिचिह्नित करने और उनकी सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्होंने पद हेतु आवेदन न किया हो।

5. चयनित उम्मीदवार से यह अपेक्षा होगी कि वे पदभार ग्रहण करने से पूर्व अपने वर्तमान पद से त्याग-पत्र दे दें/सेवानिवृत्ति ले लें और वहां से कार्यमुक्त हो जाएं। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 7 में यथा उल्लिखित पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यकाल के पश्चात पुनर्नियोजन पर प्रतिबंध लागू होंगे। पीएफआरडीए के नियम 4, (अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2014 के अनुसार ऐसे पद पर नियुक्ति के समय और उससे पूर्व प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वे न्यासिक घोषणा करें।

6. **चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव की तारीख से 30 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस अवधि में अभ्यर्थी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन 15 दिनों की अवधि का अतिरिक्त विस्तार दिया जाएगा। यदि नोटिस के पश्चात भी चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने या अपनी अनिच्छा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे सभी स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विनियामकीय निकायों में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से तीन वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा।**

7. एक पासपोर्ट आकार के फोटो सहित संलग्न प्रारुप में, आवेदन से संबंधित प्रत्येक योग्यता को स्पष्टतया दर्शाते हुए आवेदन एक बंद लिफाफे में, जिस पर **"पीएफआरडीए के सदस्य (विधि) के पद हेतु आवेदन"** लिखा हो, नीचे दिए गए पते पर दिनांक 22.4.2022, सायं 5.30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। सरकारी/सार्वजनिक/विनियामकीय क्षेत्र के आवेदक अपने आवेदनों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से/उचित माध्यम से ही भेजें। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं:-

(क) पिछले 5 वर्ष की विधिवत सत्यापित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट;

(ख) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र;

(ग) इस सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र के साथ कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंबित है अथवा न ही चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) अभ्यर्थी पर सेवा के दौरान लगाई गई बड़ी/लघु शास्तियां, यदि कोई हों

(ड.) यह प्रमाण-पत्र जिससे यह पुष्टि होती हो कि अधिकारी पर सेवाकाल के दौरान कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी।

गैर-सरकारी/गैर-सार्वजनिक क्षेत्र/गैर-विनियामकीय क्षेत्र के आवेदक अपने संगठनों के लिए यथा प्रयोज्य ऊपर सूचीबद्ध सदृश्य कागजात उपलब्ध करा सकते हैं।

8. उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित दस्तावेजों के बिना अथवा अपूर्ण सूचना वाले या नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

श्री उमेश चन्द्र,
अवर सचिव, भारत सरकार,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
कमरा नं. 5, द्वितीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं. 011-23748758

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य (विधि) के पद हेतु आवेदन-पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम :

2. जन्म तिथि (ईस्वी में) और दिनांक 22.4.2022 को सही आयु :

3. वर्तमान धारित पद :

4. सेवा, जिससे संबद्ध हैं (यदि कोई हो) :

5. वर्तमान वेतन और वेतनमान :

6. पूर्ण डाक पता, टेलीफोन और ई-मेल विवरण

(स्थायी पता) :

(वर्तमान डाक पता) :

ई-मेल :

टेलीफोन निवास :

कार्यालय :

मोबाइल :

7. शैक्षिक योग्यता (विश्वविद्यालय/संस्थानों का विवरण, उत्तीर्ण करने का वर्ष, श्रेणी, अंक इत्यादि)

i. शैक्षिक :

ii. व्यावसायिक :

8. अनुभव का विवरण और सेवा का संक्षिप्त ब्यौरा

क्रम सं.	पदनाम/पद (नियमित/तदर्थ) तथा संगठन का नाम/सम्पर्क विवरण	से तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्यों का स्वरूप	टिप्पणी/पद के लिए कोई अन्य संगत जानकारी

9. आवेदन के समर्थन में कोई अन्य जानकारी।

आवेदक के हस्ताक्षर

तिथि

अनुलग्नक: शैक्षिक/व्यावसायिक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां तथा वर्णित संगठन में सेवा का उपयुक्त साक्ष्य, आयु का प्रमाण।